संख्या–1884/26–2–2012–100(69)/02

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 28 नवम्बर, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में किये गये प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1163/स0क0/वृ0पें0यो0/बजट/2012–13, दिनांक 08.10.2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1451/26–2–2012–100(69)/02, दिनांक 30.08.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष की योजना में किये गये बजट प्राविधान रू0 1000/– करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 500/– करोड़ (रूपये पांच अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में उक्त स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी0एम0–30 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ–साथ वित्त विभाग (सम्बन्धित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3) को भी प्रति माह उपलब्ध कराया जाय।

2. उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्यय में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–104–वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण–05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–0501–राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के मद में की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1313/दस–12 दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–1884(1)/26–2–2012 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं 2
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
9. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।